



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252905
CG-DL-E-12032024-252905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945

No. 162]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. 174(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 919(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 27 दिसम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान, (छठा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 में, उप नियम (4) के खंड (घ) में, "गैर ग्रीसीय आधार में 0.5 प्रतिशत सेंटीमाइड बी. पी. वाली हों," शब्दों अक्षरों और अंकों के पश्चात "1% जेल की फेराक्राइलम ट्यूब," शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं. आरटी-11036/86/2017-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किये गए थे, और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 163(अ) तारीख 7 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

G.S.R. 174(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 919(E), dated the 27th December, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 27th December, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 138, in sub-rule (4), in clause (d), after the words "a non-greasy base," the words and figure "a tube of Feracrylum of 1% gel," shall be inserted.

[No. RT-11036/86/2017-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 163(E), dated 7th March, 2024.